संख्या- 126 /2025//001-1176-23-12-2025-1871133

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 01 चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-16920/CE-HQ1/CRF/BAS/2025-26 दिनांक 28-09-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत अग्रतालिका में अंकित 01 चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नि0ख0/ सिद्धार्थनगर	88/2025/001-584-23-12-2025-1871133 दि0-13.06.2025-	जनपद सिद्धार्थनगर में बांसी-नन्दौर-खलीलाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-88) के किमी0 0.000 से 17.000 तक (कुल लम्बाई 17 किमी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य	5113.55	1789.74	**1500.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(7) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता द्वारा रोड सेफ्टी का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,000 (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054048000421 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव

संख्या-126/2025//001-1176(1)-23-12-2025-1871133तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर।
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in